

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

29/07/2019 14:03 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/07/2019 Time (समय): 16:03 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 29/07/2019 16:03 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): पेहवा, पेहवा जिला कुरुक्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सोमदत्त

(b) Father's Name (पिताका नाम): धर्मपाल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1961

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	वार्ड न 1 गांधी नगर, पेहवा KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	वार्ड न 1 गांधी नगर, पेहवा KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मनोज कुमार			1. सहकारी समिती पेहवा, पेहवा KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है- सेवा मे, पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला शहर, श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं सोमदत्त पुत्र श्री धर्मपाल निवासी वार्ड न 01 गांधी नगर पेहवा जिला कुरुक्षेत्र का हूं कि मैं इस समय दी पेहवा सहकारी ऋण एवं सेवा समिति लि 0 पेहवा में बतौर प्रबन्धक जनवरी 2019 से तैनात हूं और मेरे पास दी गलेडवा सहकारी ऋण एवं सेवा समिति लि 0 गलेडवा पेहवा का भी अतिरिक्त कार्यभार हैं। दी गलेडवा सहकारी समिति में सतपाल बतौर प्रबन्धक तैनात था, जो दिनांक 31.03.2019 को सेवानिवृत्त हो गया है, जिसका बकाया देय वगैरा देने के लिए गलेडवा सहकारी समिति के प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 18.03.2019 को प्रस्ताव पास

किया गया था। सतपाल उक्त को सारी देय राशि का चैक के द्वारा भुगतान कर दिया था। अब मनोज कुमार निरीक्षक सहकारी समिति पेहवा ने अपने कार्यालय का पत्र नं० 435 नि०स०स० पेहवा-1 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा मुझे लिखा है, जिसको हमारी सोसाईटी के डायरी रजिस्टर के सीरियल नं० 81 दिनांक 19.07.2019 पर इन्द्राज किया हुआ है। इस पत्र में मनोज कुमार निरीक्षक ने मुझे लिखा है कि उसने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 66 दिनांक 25.06.2019 अनुसार सतपाल पूर्व प्रबन्धक दी गलेडवा सहकारी समिति के सेवानिवृत्त लाभ हेतु पूर्व में अकेक्षण करवाने बारे लिखा था परन्तु अभी तक की गई कार्यवाही बारे कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। जबकि पत्र में जो क्रमांक 66 दिनांक 25.06.2019 का हवाला दिया है वह पत्र हमारी सोसाईटी में नहीं आया और सतपाल पूर्व प्रबन्धक के बारे में समिति के प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश दिनांक 18.03.2019 को पारित किये गये प्रस्ताव में नहीं दिये गये थे और अब मनोज कुमार उपरोक्त द्वारा यह पत्र नं० 435 उक्त मेरे उपर केवल नाजायज दबाव बनाने तथा मुझसे रिश्त के पैसे लेने के लिए लिखा गया है। दिनांक 22.07.2019 को मैं मनोज कुमार निरीक्षक के दफतर पेहवा में गया था जहां पर मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपने जो पत्र नं० 435 उक्त मुझे भेजा है इसको फाईल कर दे, जिसने इस पत्र को फाईल करने की एवज में मेरे से 5000/-रुपये बतौर रिश्त देने की मांग की, जो उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मैं वहां से बहाना बनाकर चला आया था। दिनांक 24.07.2019 को मैंने दोपहर के समय मनोज कुमार निरीक्षक उक्त से अपने मोबाईल नं० 9896444556 से मनोज कुमार के मोबाईल नं० 8708059827 पर बात की और उक्त पत्र को फाईल करने बारे बात की और उसकी मांग अनुसार सेवा पानी करने की बात की। मनोज कुमार बिना रिश्त के पैसे लिये उक्त पत्र नं० 435 दिनांक 19.07.2019 को फाईल नहीं करेगा। मनोज कुमार मुझ पर रिश्त के पैसे देने का बार-बार दबाव बना रहा है। मैं मनोज कुमार को रिश्त के 5000/-रुपये देना नहीं चाहता लेकिन वह मुझे यह राशि उक्त कार्य के लिए देने को मजबूर कर रहा है। आज मैं 500/500 रुपये के 10 दस करन्सी नोट कुल 5,000/-रुपये तथा पत्र नं० 435 उपरोक्त तथा प्रस्ताव दिनांक 18.03.2019 तथा डायरी रजिस्टर की कुल छः०६ छाया प्रतियां आपको अपनी दरखास्त के साथ पेश कर रहा हूं। कृप्या करके मनोज कुमार निरीक्षक सहकारी समिति पेहवा-1 के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। प्रार्थी सोमदत्त पुत्र श्री धर्मपाल वासी वार्ड न. 1 गांधी नगर, पेहवा जिला कुरुक्षेत्र। मो. न. 9896444556. कार्यवाही पुलिस:- आज मन पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला अपने कार्यालय में हाजिर हूं कि श्री सोमदत्त पुत्र श्री धर्मपाल वासी वार्ड नं० 01, गांधी नगर पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र, प्रबन्धक दी पेहवा सहकारी ऋण एव सेवा समिति लि०, पेहवा द्वारा एक टाईपशुद्धा दरखास्त विरुद्ध श्री मनोज कुमार निरीक्षक सहकारी समितियां पेहवा बाबत मागने रिश्त 5000/-रुपये कार्यवाही हेतु मन पुलिस अधीक्षक को पेश की है। मन पुलिस अधीक्षक ने मुदई सोमदत्त से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मुदई द्वारा पेश किये गये मुबलिक 5,000/-रु० के करन्सी नोट जिनमें 10 अदद करन्सी नोट 500/500 रु० के कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूची नोट तैयार की गई। फर्द सूची नोट पर मन पुलिस अधीक्षक व मुदई सोमदत्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मुदई सोमदत्त द्वारा अपनी दरखास्त के साथ पेश की गई कारवाई कमेटी की तीन छाया प्रतियां, पत्र क्रमांक 435 नि०स०स० पेहवा-1 दिनांक 19.07.2019 की एक प्रति, डाक प्राप्ति रजिस्टर की दो छाया प्रतियां को अलग से फर्द के द्वारा कब्जा में लेकर फर्द मकबूजगी रिकार्ड अलग से तैयार की और फर्द पर पेशकर्ता तथा अन्य गवाहन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दरखास्त उपरोक्त से सरेदस्त जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर एम.एच.सी. थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, अम्बाला के हवाले बराए करने अंकित मुकदमा की गई व मिसल मुकदमा व असल तहरीर मौका पर भिजवाने व स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र की सेवा में भिजवाने की हिदायत की गई। मन पुलिस अधीक्षक मय मुदई सोमदत्त, स०उ०नि० दलवीर सिंह नं० 97/करनाल, मुख्य सि० निर्भय सिंह नं० 21/अम्बाला, मुख्य सि० सजंय नं० 5/करनाल, सि० कृष्ण कुमार नं० 226/कुरुक्षेत्र, सि० नवीन कुमार नं० 5/804 कम्प्यूटर-ओपरेटर बा-सवारी गाड़ी सरकारी नं० HR-03R-4444 जिसका चालक सिपाही कमल कुमार नं० 496/पंचकूला के रेडिंग पार्टी तैयार करके सोमदत्त मुदई के रवाना उपायुक्त कार्यालय कुरुक्षेत्र व मौका रेड का होता हूं। तफतीशी बैग व लैपटाप व प्रिन्टर हमराह लिया गया। sd Suresh Kaushik. पुलिस अधीक्ष, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला। अज थाना- इस समय एक लेख लिखित श्री सुरेश कोशिक पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो बर दरखास्त सोमदत्त पुत्र श्री धर्मपाल निवासी वार्ड न. 01 गांधी नगर पेहवा जिला कुरुक्षेत्र बर खिलाफ मनोज कुमार निरीक्षक सहकारी समिति पेहवा-1 धाराधीन 7 पी.सी. एक्ट 1988 थाना मे प्राप्त होने पर अभियोगांक 05 दिनांक 29.07.2019 धारा 7 पी.सी. एक्ट-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट बादस्त ई.एच.सी. धर्मयुधिष्ठिर न. 148/कुरुक्षेत्र के इलाका मैजिस्ट्रेट

कुरुक्षेत्र की सेवा में व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मय रिकार्ड अनुसंधानकर्ता के पास मौका पेहवा का किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित अफसरान बारे की सेवा में बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Suresh Kaushik (SP (Superintendent of Police))/DSP or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Rank (पद):

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)**

Name (नाम): Suresh Kaushik

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.

